

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा,

निर्वाचन सदन, प्लाट नं. 17, पंचकूला हरियाणा-134109

Website : www.secharyana.gov.in

Email id :sec@hry.nic.in

Phone No. +91 172 258 4810

Fax No. : +91 172 258 5904

क्रमांक रा०नि०३आ०/२-लेखा/२०१८/१४३१-३७
सेवा में,

दिनांक 28.11.2018

उपायुक्त, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत, यमुना नगर, फतेहाबाद एवं
कैथल।

विषय:- नगर निगम/नगर पालिकाओं के आम चुनाव, 2018 के दौरान किये
जाने वाले खर्चे से सम्बन्धित हिदायतें।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में।

2. आपको सूचित किया जाता है कि नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2018 को करवाये जाने की अधिसूचना दिनांक 22.11.2018 द्वारा जारी की गई है। आपको नगर निगम/नगरपालिकाओं के चुनाव के दौरान नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के मानदेय/रिफ़ैशमैट, स्टेशनरी/चुनाव सामग्री की खरीद, टैन्टज, विडियोग्राफी, बैरीकेडिंग, बसों के किराये अन्य फुट कर रख्च इत्यादि के लिए आयोग द्वारा चुनाव मद तथा पी.ओ.एल. मद में राशि अलाठ की जाती है।

3. इसके अतिरिक्त नगर निगम/नगरपालिकाओं के आम चुनाव, 2018 में विभिन्न खर्च जैसाकि चुनाव मद (मानदेय/रिफ़ैशमैट, चुनाव सामग्री की खरीद, टैन्टज, बस किराया अन्य फुट कर खर्च इत्यादि) पी.ओ.एल. (सरकारी गाडियों, बसों में पट्रोल/डीजल का खर्च) आयोग द्वारा समय-2 जारी हिदायतें अनुसार/पीली पुस्तिका में वर्णित हिदायतों के अनुसार निम्न प्रकार से किया जाये:-

1. टैन्टज की व्यवस्था के लिए हिदायतें

- रिहर्सल, सामान वितरण, सामान वापसी, मतगणना रिहर्सल, तथा मतगणना के लिये सरकारी इमारतों (कम्यूनिटी सैंटर, पंचायत भवन, रक्कूल/कालोज हाल, अनाज मण्डी शैड इत्यादि) का इस्तेमाल किया जाये। अगर उपरोक्त भवन उपलब्ध ना हो तो ऐसी स्थिति में टैन्टज की व्यवस्था की जाए।
- प्रत्येक नगरनिगम/नगरपालिका आदि के कुल पोलिंग बूथों की संख्या को 4 से गुणा करके उसमें 5 प्रतिशत इर्जर्व स्टाफ तथा रिहर्सल करवाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के स्टाफ को जोड़ कर कुर्सियों की गणना की जाए तथा केवल साधारण कुर्सियां ही किराये पर ली जाएं तथा पीली पुस्तिका में वर्णित निर्देशानुसार ही टैन्टज लगवाये जाएं।
- मतगणना/चुनाव सामग्री के आंबटन कार्य की आवश्यकता के अनुसार मेजों की गणना करके किराये पर ली जाए।
- लाईट प्रबंध केवल मतदान उपरान्त सामान वापसी तथा मतगणना वाले दिन के लिये ही आवश्यक होता है अतः तदानुसार ही लाईट/जनरेटर आदि की व्यवस्था की जाए। यदि कार्यालय में देर रात तक कार्य करना आवश्यक हो और उचित प्रकाश व्यवस्था न हो तो केवल गैस किराये पर ली जाएं। केवल व्यूनतम आवश्यकता अनुसार ही प्रबंध किया जाए।
- उपायुक्त द्वारा निर्धारित की गई दरों अथवा निविदाएं प्राप्त करके, जो भी कम हो, के आधार पर ही टैन्टज का सामान किराये पर लिया जाए। किराये की अदायगी भी एक दिन अर्थात् 24 घण्टे प्रयोग किए गए सामान की ही की जाए।
- टैन्टज इत्यादि के बारे में पीली पुस्तिका के पृष्ठ 4 पर वर्णित हिदायतों की पालना की जाए।

2. मतदाता सूचियों के खर्च बिलों का निपटान :-

नगरनिगम/नगरपालिकाओं की मतदाता सूचियों की छपवाई का कार्य समाप्त हो चुका है। मतदाता सूचियों की छपवाई पर खर्च राशि के बिलों को आयोग की हिदायतों के अनुसार छपवाई गई मतदाता सूचियों के बिलों को स्थानीय आडिट अधिकारी (Resident Audit Officer)/अनुभाग अधिकारी से चैक करवाकर सत्यापित की गई राशि की अदायगी की जाए।

3. बैरीकेंडिंग केवल मतदान केब्ड/मतगणना वाले स्थान पर अरथाई तौर पर बलिलयां/बांस/पाईप/रस्ती आदि किराये पर लेकर बनाई जाए। अति सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों पर, यदि परिहार्य कारणों से बैरीकेंडिंग के लिये ईट, सीमेंट, लोहे की जाली आदि से पक्का निर्माण करना आवश्यक हो तो आयोग की पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।

4. विडियोग्राफी केवल अति सर्वेदनशील/संवेदनशील बूथों की विडियोग्राफी कराई जाए। सामान्यतः 5 प्रतिशत बूथों की विडियोग्राफी करवाई जाए। यदि इससे अधिक बूथों की विडियोग्राफी करवाई जानी आवश्यक हो तो इसकी पूर्व अनुमति आयोग से प्राप्त की जाए। विडियोग्राफी के किराये की अदायगी भी एक दिन (अर्थात् 24 घण्टे) की जाए।

5. डीजल के खर्चे पोलिंग पार्टी हेतु एवं सैकटर मजिस्ट्रेट/सुपरवाईजरों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली गाडियों का किराया/डीजल आदि के लिए हिदायतें-पोलिंग पार्टियों व अधिकारियों के लिये वाहन किराये पर लेना

- पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों पर भेजने व वापिस लाने के लिये प्राईवेट बस, टक, कैंटर, जो भी उपलब्ध हो आदि को राज्य परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दरों पर किराये पर लिया जाए।
- प्रत्येक 52 सीटर बस में 7 पोलिंग पार्टियां, मिनी बस में 5 पोलिंग पार्टियां तथा कैंटर व टक में कम से कम 6 पोलिंग पार्टियां भेजी जाएं। पोलिंग बूथों की संख्या/पोलिंग पार्टियों के आधार पर ही वाहन किराये पर लिये जाएं।
- उक्त वाहनों को केवल दो दिन के लिये ही किराये पर लिया जाए। पोलिंग पार्टियों को मतदान केब्डों पर छोड़ने/वापिस लाने के लिए निर्धारित वाहनों का प्रयोग किया जाये।
- वाहनों में तेल तय की गई दूरी के हिसाब से ही डलवाया जाये। यदि किसी वाहन में आवश्यकता से अधिक तेल डलवाया गया है तो उसकी कठौती वाहन किराये में से कर ली जाए।
- वाहनों में तेल परिवहन आयुक्त, हारियाणा द्वारा प्रत्येक वाहन के लिये तय की गई माईलेज के हिसाब से ही डलवाया जाए।
- किराये पर लिये गये वाहनों की लाग बुक पूर्ण रूप से भरवाकर तथा संबंधित पीठासीन अधिकारी से सत्यापित करवाकर फोटो प्रतियां कार्यालय रिकार्ड में रखी जाए।
- डयूटी मैजिस्ट्रेट व सुपरवाईजर आदि के लिये जहां तक संभव हो सरकारी वाहन ही उपलब्ध करवाए जाएं और लाग बुक में तय की गई दूरी के अनुसार ही वाहनों में तेल डलवाया जाए तथा लॉग बुक की सत्यापित प्रतियां रिकार्ड में रखी जाएं।
- चूंकि आजकल सम्पर्क साधन सुलभ व पर्याप्त मात्रा में होने के कारण हर समय आवश्यकता अनुसार वाहन उपलब्ध किए जा सकते हैं। अतः कम से कम वाहन रिंजर में रखे जाएं।
- आयोग के पंचकूला स्थित मुख्यालय व अन्य कार्यालयों से चुनाव सामग्री लाने व ले जाने के लिये सरकारी व अर्ध सरकारी विभागों के वाहनों का ही प्रयोग किया जाए और उनमें तय की गई दूरी के अनुसार ही तेल डलवाया जाए।

6. चुनाव सामग्री की खरीद के लिए हिदायतें

आयोग के पत्र क्रमांक रा०नि०आ०/स्टोर/२०१८/५३३६-४०, दिनांक १६.१०.

२०१८, जोकि आपको सम्बोधित है, के अनुसार नगरनिगम/नगरपालिका के आम चुनाव-२०१८ में प्रयोग हेतु पोलिंग बूथों की संख्या अनुसार अपने स्तर पर तीन राजपत्रित अधिकारियों की कमेटी गठित करके निर्धारित प्रक्रिया व वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करते हुए पीली पुस्तक के पृष्ठ ५ के अनुसार गणना करके समय पर खरीद कर ली जाए।

नोट:- यहां पर उल्लेख किया जाता है कि सरकार द्वारा Black List की गई फर्मों से चुनाव सामग्री की खरीद न की जाये।

7. मानदेय एवं जलपान हेतु हिदायतें :-

आप द्वारा निर्धारित किये गये पोलिंग बूथों की संख्या के आधार पर $1+3=4$ (1 पीठासीन अधिकारी + 3 पोलिंग अधिकारी) तथा 5 प्रतिशत रिंजर स्टाफ (पोलिंग/मतगणना) को आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acct/2015/1915-56, dated 03-09-2015 में दी गई दरों तथा क्रमांक SEC/2-Acct/2014/607-627, dated 26-08-2014, क्रमांक रा०नि०आ०/२-लेखा/२०१७/९९२-१०१३ दिनांक ०२.०८.२०१७ अनुसार EPS के माध्यम से अदायगी की जाए। (रिफैशमेंट राशि १५०/-रु० मतदान के दिन) केवल एक दिन के लिए गणना की जाए।

रिंजर स्टाफ ५ प्रतिशत के हिसाब से रखा जाए।

कृपया चुनाव में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों के बैंक अकाउंट/यूनिक कोड इत्यादि रिहर्सल के समय या चुनाव डयूटी से पूर्व प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

8. चुनाव सम्पन्न होने के उपरान्त चुनाव मद, पी.ओ.एल. मद में, यदि कोई अतिरिक्त राशि की मांग हो तो उसकी अलग-2 डिटेल बनाकर राशि को स्थानीय आडिटर अधिकारी/अनुभाग अधिकारी से सत्यापित करवाकर वार्तविक राशि की मांग अविलम्ब आयोग को भिजवाई जाए। बिना तसदीक के किसी भी मांग पर विचार नहीं किया जाएगा।

9. चुनाव सामग्री वितरण/प्राप्त करने के लिए तथा मतगणना के लिए आवश्यकतानुसार कम से कम रटाफ नियुक्त किया जाये तथा रिंजव रटाफ से चुनाव सामग्री वितरण में सहायता प्राप्त की जाए।

10. आयोग के पत्र क्रमांक SEC/1-Acctt/2015/1915-56, dated 03-09-2015 के पृष्ठाकंन क्रमांक के बिन्दू 3 अनुसार उक्त आम चुनाव 2018 के दौरान नियुक्त ई0वी0एम. देनरों को हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित T.A. Rules के अनुसार ठी0ए0/डी0ए0 की अदायगी की जानी है। इसके अतिरिक्त पत्र SEC/1-Acctt/2015/866-931, dated 10-06-2015 के अनुसार ठी0ए0/डी0ए0 की अदायगी अपने पैतृक विभाग से की जानी है।

11. यदि किसी भी हिदायत बारे स्थिति स्पष्ट न हो तो आयोग से मार्ग दर्शन प्राप्त कर लिया जाए।

नोट:- अधिक जानकारी के लिए आयोग की website www.secharyana.gov.in-Useful Information-Accounts पर देखें।

५२३१०१३
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।

पृ० क्रमांक रा०नि०आ००/२-लेखा/२०१८/१४३८-४४ दिनांक २८.११.२०१८
इसकी एक-२ प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. आयुक्त, नगरनिगम, हिसार, करनाल, रोहतक, पानीपत एवं यमुनानगर।
2. सचिव, नगरपालिका जायबल मण्डी, जिला फतेहाबाद।
3. सचिव, नगरपालिका, पूण्डरी, जिला कैथल।

५२३१०१२
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त,
हरियाणा।